

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:- ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या -156/2014 (अपील)

परमानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति माली निवासी रंग तालाब उर्फ
काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा


-अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

---रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलल आर एक्ट बनाराजगी निर्णय
दिनांक 03.04. 2001 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा मि0नं0
119/2000 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91



उपस्थिति

1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक- 04.03.2020


1. यह अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.4.2014 से अपील उनके श्रवणाधिकार की नहीं होने से अपील का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किये बगैर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को लौटाई जाने पर इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश की गई है ।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 03.04.2001 मि0नं0 119/2000 में अन्तर्गत धारा 90 ए के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग में लेने का दौषी मानते हुए अपीलांट की ग्राम रंगतालाब स्थित भूमि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.06 हे0 को सिवायचक करने के आदेश किये गये ।
3. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.7.2014 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.06 हे0 वाके ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है, उसमें शुरू से ही अपीलांट व अपीलांट के पुत्रों आदि का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने तरीके से 90-ए रा0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत खाते की आराजी को सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लॉटों के रकवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लॉटों के स्थान पर 160 से

जिला कलेक्टर


कोटा

लेकर 344 तक के प्लॉट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संबंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलान्ट ने अपनी उक्त भूमि को नवल किशोर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया, न ही साइड प्लान बनवाया । नवल किशोर भूमि खोर द्वारा मामाने रूप से फर्जी इकरार नामें के आधार पर कूट रचित दस्तावेजों की आड में उक्त भूमि का साइड प्लॉन बनवाकर विक्रय कर दिये, जिसमें अपीलार्थी व उसके वारिसान की मर्जी के बिना भू माफिया के जरिये अवैध कार्य करवाया । इसके पश्चात अपीलान्ट ने एक वाद धारा 88 आर टी ए का न्यायालय उप जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत किया जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रही थी, अपीलार्थी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है । उक्त निर्णय दिनांक 29.9.2001 की नकल काफी अरसे बाद दिनांक 21.11.2013 को दी गयी । इस प्रकार उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी एवं नकल मिलने की दिनांक से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29.9.2001 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलान्ट के खाते में पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । वास्तविक तथ्य तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 330 रकबा 1.06 हे० वाके ग्राम रंग तालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा अपीलान्ट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है, उसमें शुरू से ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के पुत्रों आदि का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तथाकथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं अन्य वारिसान को नोटिस दिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना नोटिस दिये ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से मनमाने तरीके से 90-ए रा० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत खाते की आराजी को सिवायचक दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । वास्तविकता यह है कि नवल किशोर पुत्र राम भरोस लाल निवासी कोटा जंक्शन नामक भू माफिया दलाल ने बिना प्रतिफल दिये ही पांच एग्रीमेंट पांच प्लॉटों के करवाये थे, उसमें उसने मनमाने रूप से प्लॉटों के स्थान पर 160 से लेकर 344 तक के प्लॉट मनमाने रूप से करा लिये, जिसकी कोई राशि उसने अदा नहीं की है । इस संबंध में जो चैक दिये गये थे, वे भी अनादरित हो गये । इस प्रकार अपीलान्ट ने अपनी उक्त भूमि को नवल किशोर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं किया, न ही साइड प्लान बनवाया । अपीलान्ट ने एक वाद धारा 88 आर टी ए का न्यायालय उप जिला कलेक्टर कोटा के यहां प्रस्तुत किया जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रही थी, अपीलार्थी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 03.4.2001 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलान्ट के खाते में पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।


जिला कलेक्टर
कोटा

6. परोकार सरकार की बहस है कि अपीलांट द्वारा ग्राम रंग तालाब स्थित स्वयं के खातेदारी भूमि ख0नं0 330 रकबा 1.06 हे0 में बिना भूमि रूपान्तरण कराए ही कृषि भूमि को अकृषि कार्य आवासीय प्रयोजनार्थ प्लॉट काटकर जरिये प्रोपर्टी डीलर के बेचान किये गये, जिस पर नियमानुसार धारा 90-ए के तहत कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जो अपीलांट पर प्रोपर तामिल हुआ है । किन्तु बावजूद सूचना अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये है । अपीलांट का कथन असत्य है कि उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें ।
7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.09.2001 के विरुद्ध अपील दिनांक 24.07.2014 को प्रस्तुत की है जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । चूंकि अपीलान्ट को उक्त आदेश की नकल तहसीलदार लाडपुरा द्वारा काफी अरसे बाद दी जाना बताया है, न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब क्षम्य एवं कन्डोन किये जाने योग्य है
8. अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में बिना भू-रूपान्तरण करवाए ही खातेदारी भूमि में आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जाकर निर्माण कार्य किया है, तथा भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग में लेने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, नोटिस तामिल होने के बावजूद अपीलांट द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया ओर ना ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए । वकील अपीलांट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य / आधार पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जा सकें । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को हम उचित मानते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज योग्य पाते है ।
9. अतः वकील अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.04.2001 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।
10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(अमि कसरा)
 जिला कलेक्टर, कोटा
 कोटा